न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 193/2016   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2016/00256**
दायर दिनांक :– 18.11.2016   **निर्णय दिनांक :– 22.10.2024**

1. कमाल खां पुत्र बच्चलखां जाति मुसलमान निवासी पन्नुवाला की नाडी भड़ला तहसील बाप
2. यार मोहम्मद पुत्र कमालखां जाति मुसलमान निवासी पन्नुवाला की नाडी भड़ला तहसील बाप
3. शाह मोहम्मद पुत्र कमालखां जाति मुसलमान निवासी पन्नुवाला की नाडी भड़ला तहसील बाप
4. रोजेखां पुत्र कमाल खां जाति मुसलमान निवासी पन्नुवाला की नाडी भड़ला तहसील बाप

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री जमालदीन अधिवक्ता वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि गांव भड़ला तहसील बाप में भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 1257.05 बीघा स्थित है। जिसमें से 70 बीघा भूमि पर वादीगण का वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथ इसी प्रकार ग्राम भड़ला तहसील बाप के खसरा नम्बर 124 में से 40 बीघा भूमि पर भी वादीगण का वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त निरन्तर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2068–2071 पेश की जा रही है। वादीगण उपरोक्त वर्णित खसरों की भूमि पर शुरू से ही अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व से ही काबिज है तथा निरन्तर काश्त करते आ रहे है। मौके पर पीढियों से पक्की ढाणियां बनी हुई है तथा पानी का टांका तथा अन्य रोजमर्रा की सुविधाए उपलब्ध है। वादीगण वक्त सेटलमेंट से ही उपरोक्त खसरों की उपरोक्त कब्जा सुदा रकबे तक राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है लगान की रसीदे वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण का पुराना कब्जा काश्त होने के [illegible]ण उपरोक्त कृषि भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकारी कानून बन चुके [illegible]ब दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ [illegible] वादीगण का कब्जा एवं काश्त होने के कारण भी वादीगण खातेदार काश्तकारी की श्रेणी में आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली

22.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

में तनकीयात कायम की गई। प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रस्ततु नहीं किये गये लिहाजा वादीगण की साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस में रखी गई।

पत्रावली में सलंग्न वाद पत्र, जवाब दावा, जमाबंदी का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एंव निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादपत्र अनुसार वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में वादीगण का सरहद मौजा भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 84 में से रकबा 70.00 बीघा व खसरा नम्बर 124 में से रकबा 40.00 बीघा जो कि वादग्रस्त भूमि है पर कब्जा काश्त है। बाप तहसील के कुछ गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में लिया गया है जिनमें पटवार मण्डल नुरे की भुर्ज भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आये गांवों में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इसलिये वादीगण को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये वादीगण उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

   तहसीलदार बाप के जवाब अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त किये जा सकते है। वादकारण नहीं पैदा होने के कारण, प्रथम दृष्ट्या वाद वादीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

   जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि है। प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तहसीलदार बाप के अनुसार विधि के प्रावधानानुसार समय–समय पर उक्त वादग्रस्त भूमि से वादीगण/अतिक्रमी को बेदखल किया जाता रहा है।

2. 'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय–

   (1) आर.आर.डी. 2016 पेज 464/चेनाराम और अन्य विरूद्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य–माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

   (2) आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011– इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to advrse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

22.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

(3) आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018– इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

(4) बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990– प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरूद्व प्रतिकूल नहीं हो जाता है। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू–धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तो के अध्याधीन है। यदि उन शर्तो में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

3. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 18 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते है। निर्विवाद रूप से वादीगण ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में वादीगण को वादकरण हासिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

22.10.24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)